

23.10.24

दोनो पक्षो के आधीवर्ती उपस्थित / वकील  
 प्राप्ति के निर्देश किया कि इ-समय प्रकटा  
 में समस्त अर्जा 317 को विज्ञापित किया जाता है।  
 इस कारण संबंधित अर्जाएं प्रकटा करने की आवश्यकता  
 नहीं है। किन्तु वकील विज्ञापित कराने की आवश्यकता  
 की गई। इस कारण संबंधित अर्जाएं प्रकटा करने की  
 भी आवश्यकता प्रकटा की जाती है। प्रकटा में  
 विज्ञापित की जाए तो प्रकटा प्रकटा प्रकटा  
 किया जा चुका है। अतः प्रकटा आधीवर्ती  
 की प्रकटा प्रकटा प्रकटा प्रकटा प्रकटा प्रकटा  
 प्रकटा प्रकटा प्रकटा प्रकटा प्रकटा प्रकटा प्रकटा

सहायक कलेक्टर  
 (S.D.O.) बालोतस

जो इस हुक्म  
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही अथ इतिशियत्य जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

जिसमें पादा जि वादी की ओर से वादग्रह  
आशय में स्वतन्त्रता वापस, अतः उन्हें  
लगाई विवेचना जारी करने की मुक्त अनुमति  
दिया है। जो कि सूचना में प्राप्त लघु  
के आदेश पर तब होगा कि वादी। धर्म  
सहित प्राप्त करने का हक है अपना नहीं  
आकर लेते विवेचना वाद परकार के मध्य  
का विवाद हाने और नहीं हों। इस कारण  
सम्बन्ध कदम को प्रभाव रत्ता याना उचित  
सही होता है, तब उक्त को विवेचना  
के जो तब में लाइकिंग हो लें। विवेचना  
धर्म का आदेश जारी कर दिया याने  
लेने जो को सूचना के निरीक्षण तक वाद  
वापस किया जाता है कि जो सम्बन्ध  
की स्वतन्त्रता 282 की सम्बन्ध रिपोर्ट  
य सौका की प्रारम्भिक बनाए रखें।

कार्यवाही सुतप। रत्ता।

प्रकार की उक्त सुतप। रत्ता। वादग्रह  
रत्ता रें।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा 23/10/14